



2026:AHC:8421

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 213 वर्ष 2026

लरेन्स संखवार

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता :

राजकुमार सिंह

प्रतिवादी गणों के अधिवक्ता :

मुख्य शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राज कुमार सिंह और राज्य प्रतिवादी गणों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेंद्र प्रसाद को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता का यह मामला है कि उसे 28.07.2008 को कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया गया था और रिट याचिकाकर्ता के विरुद्ध जांच की गई थी, एक आरोप पत्र जारी किया गया था। रिट याचिकाकर्ता को 27.03.2019 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके विरुद्ध एक अपील और पुनरीक्षण दायर गई थी जिसे खारिज कर दिया गया था, इसलिए याचिकाकर्ता ने रिट संख्या 8057 वर्ष 2020 दायर किया, जो रिट याचिका संख्या 15645 वर्ष 2023 से जुड़ी हुई थी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जिसे 01.05.2025 को स्वीकार की गई थी, जिसमें प्रतिवादी गणों को जांच करने का निर्देश दिया गया था, यदि ऐसा होता है, तो आक्षेपित आदेशों को अपास्त कर दिया जाता है।

3. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वह हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति का अधिकारी है।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता के दावे को सबसे पहले चौथे प्रतिवादी, पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात द्वारा न्यायिक निर्णय की आवश्यकता है।
5. इस तरह के प्रस्तुति पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और वह इसे शालीनता से स्वीकार करता है।
6. प्रतिद्वंद्वी पक्षकारों की प्रस्तुतियों के साथ-साथ उनके द्वारा लिए गए आधार को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका का **निस्तारण** किया जा रहा है जिससे रिट याचिकाकर्ता को स्व-प्रमाणित के साथ एक व्यापक प्रत्यावेदन को वरीयता देने की स्वतंत्रता दी जा रही है। चौथे प्रतिवादी के समक्ष रिट याचिका की सत्यापित प्रति, जो दो सप्ताह की अवधि के भीतर रिट याचिका की प्राप्ति पर, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने के दिनांक से दो माह के भीतर विधि के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे पर सख्ती से निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ेगा। यदि चौथे प्रतिवादी की अधिमत है कि मामले का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारियों द्वारा किया जाना है, तो कागजात उसी को प्रेषित किए जाएंगे।
7. यह बताने की जरूरत नहीं है कि रिट याचिका पर प्रतिवादी गणों से कोई जवाब मांगे बिना निर्णय कर लिया गया है। इस प्रकार, इस आदेश के पारित होने का अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता है कि यह न्यायालय मामले के गुण-दोष में चला गया है।
8. उपरोक्त टिप्पणी के साथ, रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

आदेश दिनांक: जनवरी 13, 2026

ए. प्रजापति

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।